भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2242

12 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

डीएवाई-एनयूएलएम का एसएमआईडी घटक

†2242. श्री करण भूषण सिंहः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास (एसएमआईडी) घटक के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), क्षेत्र स्तरीय संघों (एएलएफ) और शहर स्तरीय संघों (सीएलएफ) की संख्या का डेटा है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और शहरी स्थानीय निकाय/जिला/शहर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे पृथक-पृथक आंकड़ों में इन संस्थाओं की कार्यात्मक स्थिति, जिसमें बैठकों की आवृत्ति, बचत की नियमितता, बहीखाता तथा बैंक ऋण तक पहुंच आदि की जानकारी शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रमुख निष्पादन संकेतकों को शामिल नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का एसएमआईडी के तहत स्वयं सहायता समूहों और फेडरेशन पर बारीक, सत्यापित किया जा सकने वाला और नतीजे पर आधारित डेटा इकट्ठा करने के लिए सभी राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों में एक जैसे सूचित करने के प्रारूप को मानक बनाने और ज़रूरी बनाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए परिकल्पित समय-सीमा एवं संस्थागत तंत्र क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) एम एम आई डी घटक के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी), क्षेत्र स्तरीय संघों (एएलएफ) और नगर स्तरीय संघों (सीएलएफ) की संख्या से संबंधित आंकड़े केवल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर ही रखता है। एसएमआईडी घटक के अंतर्गत वर्ष 2014 से 2024 तक (30

सितंबर, 2024 तक) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ख): केंद्र द्वारा संग्रहित आंकड़ों में मुख्य रूप से गठित स्वयं सहायता समूहों/संघों की संख्या, जारी की गई निधि और सुगम बनाए गए ऋण लिंकेज की भौतिक और वित्तीय प्रगति से संबंधित जानकारी होती है। बैठक की आवृत्ति, बचत की नियमितता, बहीखाते की गुणवत्ता और बैंक ऋण तक पहुंच की सीमा जैसे कार्यात्मक कार्य निष्पादन संकेतकों पर अलग-अलग आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर समान रूप से एकत्रित या संकलित नहीं किए जाते हैं।

हालांकि डीएवाई-एनयूएलएम के परिचालन दिशानिर्देश शहरी स्थानीय निकाय और राज्य स्तर पर निगरानी के लिए ऐसे संकेतकों को निर्धारित करते हैं, लेकिन उनका संग्रह और उपयोग काफी हद तक विकेंद्रीकृत है और इसका उद्देश्य मानकीकृत राष्ट्रीय-स्तर की रिपोर्टिंग के बजाय स्थानीय क्षमता निर्माण और पर्यवेक्षण है।

(ग): डीएवाई-एनयूएलएम मिशन 30.09.2024 को समाप्त हो गया था। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक समान रिपोर्टिंग प्रारूप के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

******

'डीएवाई-एनयूएलएम के एसएमआईडी घटक' के संबंध में दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2242 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वयं सहायता समूह (एसएचजीएस), क्षेत्र स्तरीय संघ (एएलएफएस) और नगर स्तरीय संघ (सीएलएफएस) का गठन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गठित एसएचजी की संख्या	गठित एएलएफ की संख्या	गठित सीएलएफ की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	124	3	0
2	आंध्र प्रदेश	108178	3456	76
3	अरुणाचल प्रदेश	714	20	0
4	असम	24660	1054	18
5	बिहार	37365	1447	36
6	चंडीगढ़	689	6	1
7	छत्तीसगढ	36580	1223	64
8	गोवा	1406	43	4
9	गुजरात	41182	495	59
10	हरियाणा	9502	65	0
11	हिमाचल प्रदेश	4948	274	42
12	जम्मू और कश्मीर	4405	65	0
13	झारखंड	24288	916	8
14	कर्नाटक	45410	1843	50
15	केरल	27250	1890	62
16	लद्दाख	58	0	0
17	मध्य प्रदेश	65459	2292	101
18	महाराष्ट्र	117896	3954	289
19	मणिपुर	3535	84	0
20	मेघालय	510	9	0
21	मिजोरम	1388	67	10
22	नागालैंड	809	88	6

23	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1332	11	0
24	ओडिशा	43528	1632	9
25	पुदुचेरी	1103	107	3
26	पंजाब	11431	191	2
27	राजस्थान	34644	972	32
28	सिक्किम	129	6	0
29	तमिलनाडु	145718	4205	87
30	तेलंगाना	53611	1286	79
31	त्रिपुरा	5497	291	5
32	उत्तर प्रदेश	74418	1413	179
33	उत्तराखंड	4511	183	1
34	पश्चिम बंगाल	70267	2941	139
	अखिल भारतीय	**10,02,545**	**32,532**	**1,362**